न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

83

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1483—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—07—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 234/2005—06/अपील

....

देवी शंकर पुत्र मथुरा लाल,
निवासी— ढोंडर तहसील विजयपुर,
जिला— मुरैना म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

राम प्रसाद पुत्र मुरली
निवासी— ग्राम बलावली तहसील विजयपुर
जिला—मुरैना (म0प्र0)

.......................अनावेदक

....

श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

आदेश
(आज दिनांक 4-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—07—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील विजयपुर के ग्राम बलावली में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 77/4 रकबा 10 बीघा का पट्टा भू—दान वोर्ड द्वारा आवेदक देवीशंकर को प्रदान किया गया था। भू—दान वोर्ड द्वारा आवेदक को दिये गये, पट्टे को निरस्त कराने बावत अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश किया । अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 1/87—88/अ—86 स्थापित किया जाकर दोंनो पक्षों को सुना गया। अनुविभागीय

अधिकारी, विजयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.88 से आवेदक देवीशंकर के हक में किया गया पट्टा पात्रता न होने के आधार पर निरस्त किया गया और देवीशंकर के नाम पटवारी कागजात में किया गया इन्द्राज को भी निरस्त करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.88 से परिवेदित होकर आवेदक देवीशंकर द्वारा अपील कलेक्टर, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 66/87–88/अपील माल पर दर्ज की जाकर पारित विचारधीन आदेश 31.07.89 द्वारा स्वीकार करते हुये, अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.88 इस आधार पर निरस्त किया गया, कि अनुविभागीय अधिकारी, को भू–दान वोर्ड द्वारा प्रदत पट्टे को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 31.07.89 से दुखी होकर अनावेदक रामप्रसाद द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 234/2005–06/अपील माल पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 27.07.2006 द्वारा अनावेदक के हित में अपील स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 22.02.75 को भू–दान यज्ञ विधान के अनुसार आवेदक को भू–दान यज्ञ बोर्ड से प्राप्त हुआ है जिस पर अनावेदक ने अतिक्रमण करके सन् 1985 में बेजा कब्जा कर लिया है, जिस कारण आवेदक ने अनावेदक के विरूद्ध सिविल न्यायालय में अनावेदक का विवादित भूमि खसरा नम्बर 77/4 स्थित ग्राम बिलाबली परगना विजयपुर से कब्जा वापस दिलाये जाने बावत एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो सिविल न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 47ए/85 ई.दी. में दिनांक 25.01.91 को डिग्री हुआ व अनावेदक के विरूद्ध विवादित भूमि का अधिपत्य वापिस दिलाये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री पारित की गई, जो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर बैंच ग्वालियर से दिनांक 23.06.05 को जो अनावेदक ने द्वितीय अपील की थी अनावेदक की अपील अस्वीकार करके डिग्री आवेदक के हित में स्थिर रखी गई है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सिविल न्यायालय की डिग्री जो अनावेदक के विरूद्ध विवादित भूमि का अधिपत्य वापस दिलाये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा की जो आवेदक के हित पारित हुई है अधीनस्थ न्यायालय पर बंधनकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय, को जो कलेक्टर, मुरैना के आदेश को निरस्त करने के आधार दिये गये है, गलत अनुमानों पर आधारित है, जबकि

विवादित भूमि का दीवानी न्यायालय से आवेदक के हक में निर्णय पट्टा कायम रखने व कब्जा दिजाये जाने का हो चुका है आधार जो अधीनस्थ न्यायालय में दिये है अवैध व मनमानी है । आवेदक भूमिहीन है पट्टा सन् 1975 में प्राप्त हुआ है जो सिविल न्यायालय ने मान्य किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा इन बिन्दुओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया है । अतः ऐसा आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता है। कलेक्टर, मुरैना ने अपने आदेश में लिखा है कि अनुविभागीय अधिकारी को पट्टा निरस्त करने का अधिकारी नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कोई प्रमाण अथवा हवाला आदेश में नहीं है । आदेश में कारण दर्शाना आवश्यक है, बिना किसी प्रमाण के पारित आदेश शुन्य हो जाता है । कलेक्टर, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में आवेदक देवीशंकर द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर यह माना जाता कि वास्तव में अनुविभागीय अधिकारी को भू–दान बोर्ड द्वारा प्रदत्त पट्टे को निरस्त करने का अधिकार नहीं है और न ही कलेक्टर, मुरैना ने आदेश में ही ऐसा कोई खुलासा किया है कि पट्टा निरस्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 3283–2457(7)एन–1 दिनांक 15.07.1969 की छायाप्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि भू–दान बोर्ड द्वारा किये गये पट्टों को निरस्त करने का अधिकार उस समय अनुविभागीय अधिकारी को था । राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रकाश में ही अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा आदेश पारित करते हुये आवेदक देवीशंकर के हक में किया गया भू–दान बोर्ड द्वारा पट्टा निरस्त करने का आदेश दिया गया था, जो विधिसंगत आदेश था। संहिता की धारा 22 में भी उक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.69 के तहत भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा 22, 23, 27, 31, 35, तथा 37 के अधीन अपने अधिकारिता क्षेत्र में राजस्व अधिकारी की शक्तियां प्रदान की है । अनुविभागीय अधिकारी भी एक राजस्व अधिकारी है और भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत पट्टा निरस्त करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को है

और यह राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी है । मेरे विचार से कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है ।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से निर्णय हो चुका है जिसमें अनावेदक को प्रतिबंधित किया गया है कि वह हस्तक्षेप न करें, अनावेदक आवेदक को आधिपत्य सौंपे। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रस्तुत प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । आवेदक के हक में प्रदत्त पट्टे को अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा दिनांक 22.07.88 को निरस्त कर दिया गया था और विवादित भूमि भू–दान यज्ञ बोर्ड को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है । दूसरा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर ने आवेदक के हक में प्रदत्त पट्टा को निरस्त करने का जो आधार लिया है वह सही है । भू–दान अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत भू–दान भूमि का पट्टा प्राप्त करने बावत पात्र व्यक्तियों की व्याख्या की गई है, उसमें सर्वप्रथम उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्ति जो भूमि को काश्त करने का इच्छुक हो, उसको आती है । आवेदक देवीशंकर ग्राम ढ़ोडर तहसील श्योपुर का रहने वाला है। विवादित भूमि ग्राम बलावली तहसील विजयपुर का निवासी है और न ही वह भूमिहीन की श्रेणी में आता है । इन सब आधारों का खुलासा अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर द्वारा किया गया था, किन्तु कलेक्टर, मुरैना द्वारा इन सब बातों पर बिना कोई विचार किये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में भूल की है । गंभीरता से विचार करने के बाद ही तथा भू–दान यज्ञ अधिनियम को भलीभांति अवलोकरन करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिये था । कलेक्टर, मुरैना द्वारा मात्र इतना लिखकर आदेश पारित किया कि अनुविभागीय अधिकारी को पट्टा निरस्त करने का अधिकार नहीं है । गलत है । ऐसा आदेश शून्य है । ऐसे शून्यवत आदेश को इस निगरानी में स्थिर रखे जाने को कोई औचित्य नहीं है । कलेक्टर, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.89 निरस्त किया जाता है।

7/ प्रकरण में अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन किया गया, जिसमें अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि संहिता की धारा 22 में भी उक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.69 के तहत भू–दान यज्ञ अधिनियम की धारा 22, 23, 27, 31, 35, तथा 37 के अधीन अपने अधिकारिता क्षेत्र में राजस्व अधिकारी की शक्तियां प्रदान की है । अनुविभागीय अधिकारी भी एक राजस्व अधिकारी है और भू–दान यज्ञ

अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत पट्टा निरस्त करने का अधिकार राजस्व अधिकारी को है और यह राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी है । इसी आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.88 को विधिसंगत मानते हुये यथावत रखा है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हूँ ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर के द्वारा पातिर आदेश दिनांक 22.07.88 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 27.07.2006 विधिसंगत एवं समवर्ती निष्कर्ष होने से स्थिर रखे जाते है । फलतः निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर